<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103006012014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—624/14</u> संस्थापित दिनांक—28.10.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन
विरुद्ध
01—कंछेदी पुत्र गुलवा आदिवासी उम्र 42 साल निवासी मीठाखेडा, 02—सरदार पुत्र कप्तान सिंह यादव उम्र 19 साल निवासी ग्राम मीठाखेडा।
आरोपीगण
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :— श्री आर एस यादव अधिवक्ता।ं

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 27.01.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्रं चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 294, 323, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मोहरसिंह ने दिनांक 30.06.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था तभी द्वार के पास कंछेदी आदिवासी व सरदार यादव मिले, उसने कहा कि लकड़ी लाने चलो। इसी बात पर से दोनों आरोपीगण उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देने लगे एवं गाली देने से मना करने पर कंछेदी ने उसे कुल्हाड़ी से मारा एवं सरदार ने भी मारपीट की। और जब वह घर जाने लगा तो दोनों ने रिपोर्ट करने जाने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 277 / 14 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05—

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 323 / 34, 506

भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.06.14 को समय दिन 02.00 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम मीठाखेडा स्थित फरियादी के घर के पास लोकस्थल पर परिवादी/आहत मोहर सिंह को कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है, से उपहित कारित की, जो कि धारा 324 भादिव के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मोहरसिंह, अ.सा. की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मोहरसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था और कहासुनी हो गयी थी जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है, से उपहित कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाडी एवं लाठी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)